जनजातीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 94

जनजातीय कार्य मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1045.74	10.70	1056.44	882.70	11.30	894.00	1095.74	13.01	1108.75
पूंजी		*41.26*	*...*	*41.26*	*17.30*	*...*	*17.30*	*50.26*	*...*	*50.26*
जोड़		**1087.00**	**10.70**	**1097.70**	**900.00**	**11.30**	**911.30**	**1146.00**	**13.01**	**1159.01**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	...	4.74	4.74	0.25	4.74	4.99	1.00	5.16	6.16
मंत्रिपरिषद										
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण										
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण										
3. जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना	2225	0.50	...	0.50	0.42	...	0.42	0.50	...	0.50
	3601	13.50	...	13.50	6.58	...	6.58	13.50	...	13.50
	जोड़	*14.00*	*...*	*14.00*	*7.00*	*...*	*7.00*	*14.00*	*...*	*14.00*
4. पीएमएस, पुस्तक बैंक और अ.ज.जा. के छात्रों की योग्यता उन्नयन की स्कीम	2225	0.15	...	0.15	0.03	...	0.03	0.15	...	0.15
	3601	56.34	...	56.34	51.25	...	51.25	65.34	...	65.34
	जोड़	*56.49*	*...*	*56.49*	*51.28*	*...*	*51.28*	*65.49*	*...*	*65.49*
5. अनु. जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की स्कीम	2225	3.00	...	3.00	2.52	...	2.52	3.00	...	3.00
	3601	21.00	...	21.00	16.86	...	16.86	21.00	...	21.00
	जोड़	*24.00*	*...*	*24.00*	*19.38*	*...*	*19.38*	*24.00*	*...*	*24.00*
6. अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम	2225	88.50	5.80	94.30	49.87	6.40	56.27	92.50	7.69	100.19
	3601	40.45	0.14	40.59	23.62	0.14	23.76	43.45	0.14	43.59
	3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
	4225	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	11.01	...	11.01
	जोड़	*129.01*	*5.94*	*134.95*	*73.55*	*6.54*	*80.09*	*147.01*	*7.83*	*154.84*
राज्य आयोजना के लिए केंद्रीय सहायता										
7. जनजातीय उप-योजना	3601	497.00	...	497.00	461.30	...	461.30	497.00	...	497.00
8. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक (i) के अधीन स्कीमों के लिए सहायता	3601	300.00	...	300.00	252.70	...	252.70	330.00	...	330.00
जोड़-राज्य योजनाओं को केंद्रीय सहायता		**797.00**	**...**	**797.00**	**714.00**	**...**	**714.00**	**827.00**	**...**	**827.00**
जोड़-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण		**1020.50**	**5.94**	**1026.44**	**865.21**	**6.54**	**871.75**	**1077.50**	**7.83**	**1085.33**
9. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	4225	37.50	...	37.50	14.54	...	14.54	35.50	...	35.50
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एक-मुश्त प्रावधान	2552	25.25	...	25.25	17.25	...	17.25	28.25	...	28.25
	4552	3.75	...	3.75	2.75	...	2.75	3.75	...	3.75
	जोड़	*29.00*	*...*	*29.00*	*20.00*	*...*	*20.00*	*32.00*	*...*	*32.00*
कुल जोड़		***1087.00***	***10.70***	***1097.70***	***900.00***	***11.30***	***911.30***	***1146.00***	***13.01***	***1159.01***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
9.01. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	22225	37.50	...	37.50	14.54	...	14.54	35.50	...	35.50
	जोड़	*37.50*	*...*	*37.50*	*14.54*	*...*	*14.54*	*35.50*	*...*	*35.50*
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना										
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	...	...	...	0.25	...	0.25	1.00	...	1.00
2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	261.00	...	261.00	165.75	...	165.75	286.00	...	286.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	29.00	...	29.00	20.00	...	20.00	32.00	...	32.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना		**290.00**	**...**	**290.00**	**186.00**	**...**	**186.00**	**319.00**	**...**	**319.00**
राज्य आयोजना										
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	43601	300.00	...	300.00	252.70	...	252.70	330.00	...	330.00
2. जनजातीय उप आयोजना	43601	497.00	...	497.00	461.30	...	461.30	497.00	...	497.00
जोड़-राज्य आयोजना		**797.00**	**...**	**797.00**	**714.00**	**...**	**714.00**	**827.00**	**...**	**827.00**
जोड़		**1087.00**	**...**	**1087.00**	**900.00**	**...**	**900.00**	**1146.00**	**...**	**1146.00**

Website: http://indiabudget.nic.in

1. यह व्यवस्था जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत पात्र संगठनों और संस्थानों तथा जरूरतमन्द व्यक्तियों को भी अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं।

3. इस स्कीम के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं जैसे विद्यार्जन के अनुकूल परिवेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को समान आधार पर अर्थात् 50:50 आधार पर (संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100%) अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

4. मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भारत के अंदर मान्यताप्राप्त संस्थाओं में मान्यताप्राप्त मैट्रिक के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनकी प्रतिबद्ध देनदारी के अलावा, जो उन्हें अपने संसाधनों से वहन करना होता है, 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। पुस्तक बैंक योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों को नि:शुल्क पुस्तकें प्रदान करती हैं। योग्यता उन्नयन की योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अपने परिणाम सुधारने के लिए संबंधित विषयों में ऐसे कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करती हैं।

5. यह भूतपूर्व लड़कियों के छात्रावास और लड़कों के छात्रावास की दो योजनाओं की एक सम्मिलित योजना है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु राज्यों को 50 : 50 आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100 प्रतिशत अनुदान दिए जाते हैं और अनुसूचित जनजातियों के लड़कों और लड़कियों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में इसे एक प्रभावकारी उपाय समझा गया है।

6. यह प्रावधान अनुसूचित जनजाति के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय या अंतर्राज्य प्रकृति की परियोजनाओं की सहायता, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, ट्राइफेड को निवेश/मूल्य समर्थन, लघु वन उत्पादों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारिता निगमों को सहायता अनुदान, जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षणिक काम्प्लेक्स, जनजाति क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के दूसरे परंतुक के खण्ड(क) के अंतर्गत असम सरकार को अनुदान, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय आयोग और आदिवासी जनजाति समूहों के विकास के लिए है।

इसके अंतर्गत इन योजनाओं के लिए प्रावधान भी शामिल हैं : (i) नई दिल्ली में एक आदिवासी भवन का निर्माण; और (ii) जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उपाय करना।

7. जनजातीय उप-योजना की अवधारणा 194 एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं, 259 संशोधित क्षेत्र विकास पॉकेटों, 82 बस्तियों और 75 आदिवासी जनजातीय समूहों के लिए तैयार की गई है। जनजातीय उप आयोजना कार्यनीति का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं को सुधारना और शोषण से उनकी सुरक्षा करना है। उप-आयोजना उपागम के अंतर्गत 18 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। राज्य आयोजनाओं की अतिरिक्त सहायता के रूप में राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता दी जाती है।

8. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक (1) के अंतर्गत योजनाओं के लिए सहायता के अंतर्गत जनजातीय विकास के लिए जनजातीय क्षेत्रों में अतिमहत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाएं सृजित करने के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर शेष राज्य के समतुल्य लाने के लिए 21 जनजातीय उप-आयोजना राज्यों और 4 जनजातीय बहुल राज्यों को अनुदान दिए जाते हैं, जिससे उन्हें शेष विकसित क्षेत्रों के समकक्ष लाया जा सके ।

9. यह प्रावधान राज्यों के शेयरपूंजी निवेश में भागीदारी, विभिन्न राज्यों में राज्य जनजाति विकास निगमों की स्थापना, जो आर्थिक रूप से कमजोर परियोजनाओं के लिए अनुसूचित जनजातियों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्त जुटाते हैं, के लिए है। राज्य माध्यम एजेंसियों के जरिए अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की वित्तपोषण योजनाओं/परियोजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) नामक एक नया निगम स्थापित किया गया है।

10. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/ योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

Website: http://indiabudget.nic.in